INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 10, October 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

स्त्री सशक्तिकरण के दौर में दिव्यांग (दृष्टीबाधित) स्त्रियों के शैक्षिक समावेश के लिए अवसर एवं चुनौतियाँ

संतोष कुमार महतो
शोधार्थी, शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय
ईमेलः santoshmahtomelody@gmail.com

प्रस्तावना

वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति का गुणवत्तापूर्ण जीवन शिक्षा की गुणवत्ता एवं अवसरों की प्राप्ति पर निर्भर करती है। इस समय में शिक्षा का उद्देश्य जनमानस में ज्ञान का प्रसार एवं आवश्यक कौशलों का विकास करना है। यह एक व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था में ही संभव है। भारतीय संदर्भ में यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। विकसित भारत का लक्ष्य भारतीय जनमानस के सशक्तिकरण से संभव हो सकता है। भारतीय जनमानस की आधी आबादी स्त्रियॉं की है और बिना स्त्री सशक्तिकरण के इस लक्ष्य को प्राप्त करना नामुमकिन है। इसलिए भारत सरकार पिछले 2 दसकों से स्त्री सशक्तिकरण की मुहिम चला रहा रही है और कुछ सफलता इस संदर्भ में मिली भी है। परंतु परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं है। अभी भी स्त्री सशक्तिकरण की गति धीमी है। भारत सरकार ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा के महत्व को जाना है और यह स्वीकार किया है सशक्तिकरण का आधार आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा से ही संभव है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रस्तुत किया। इसे नई शिक्षा नीति के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना अतिआवश्यक है कि जब हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसमें दिव्यांग (दृष्टीबाधित) स्त्रियाँ भी सम्मिलित हैं। बिना दिव्यांग (दृष्टीबाधित) स्त्रियों के स्त्री सशक्तिकरण की मुहिम को पूर्ण नहीं माना जा सकता। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्त्री सशक्तिकरण के प्रयासों में दिव्यांग (दृष्टिबाधित) स्त्रियों के लिए उपलब्ध शैक्षिक समावेश के अवसरों एवं चुनौतियों का अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तनों की परिकल्पना प्रस्तुत करती है ''भारतीय लोकाचार में निहित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो भारत को, यानी भारत को, सभी को उच्च–गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके, एक समतामूलक और जीवंत ज्ञान–आधारित समाज में स्थायी रूप से परिवर्तित करने में प्रत्यक्ष योगदान दे, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)।'' इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य भारतीय जनमानस को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाकर भारत के वैश्विक महाशक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना है। भारत सरकार का मानना है कि इस लक्ष्य को समता, पहुँच, सामर्थ्य, समता,जवाबदेही एवं गुणवत्ता, इन पाँच आधार स्तंभों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और राष्ट्रिय शिक्षा नीति इन्हीं पाँच आधार स्तंभों पर आधारित हैं। ये सभी भारतीय युवाओं को ज्ञान से सशक्त बनाएँगे बल्कि वर्तमान में उपस्थित राष्ट्रिय एवं वैश्विक चुनौतियों के साथ–साथ भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य केवल आलोचनात्मक सोच एवं समस्या समाधान कौशल के साथ–साथ सामाजिक और भावनात्मक कौशलों को भी विकसित करना है।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग (दृष्टीबाधित) स्त्रियों के शैक्षिक समावेश के अवसर

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 के तहत जेंडर समानता एवं सशक्तिकरण

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 को प्रस्तुत करते समय इसके उद्देश्यों के विषय में विस्तृत चर्चा प्रस्तुत की है। इन्हीं उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा के अंतर्गत ही जेंडर समानता एवं सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा हैः

समावेशी शिक्षाः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देती हुए कहती है कि लड़के एवं लड़कियों को बिना किसी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्टभूमि के समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो। यह ऐसे समावेशी एवं सुरक्षित अधिगम वातावरण के निर्माण की वकालत करता है जो जेंडर समानता, विविधता को बढ़ावा दे और जेंडर आधारित भेदभाव को दूर करे।

जेंडर संवेदनशील पाठ्यचर्याः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर संवेदनशील पाठ्यचर्या के विकास पर जोर देती है जो जेंडर पूर्वाग्रहों एवं रूढ़िवादिता को चुनौती दे सके। जेंडर समानता को बढ़ा सके और लड़के एवं लड़कियों विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित कर सके। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार परिपेक्ष्यों, अनुभवों और विभिन्न अकादमिक विषयों में स्त्रियॉ एवं पुरुषों के योगदान को समाहित कर सके।

जेंडर आधारित हिंसा को हटा सकेः राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 अकादमिक संस्थानों में जेंडर आधारित हिंसा के प्रसार को रोकने और सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के उद्देश्य को मान्यता देती है। यह नीति उत्पीड़न विरोधी नीतियों को सख्ती से लागू करने और स्कूलों एवं कॉलेजों में जेंडर आधारित हिंसा संबोधित एवं रोकथाम के लिए तंत्र स्थापित करने की वकालत करता है।

शैक्षिक नेतृत्व में महिला सशक्तिकरणः राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक नेतृत्व की भूमिकाओं जिनमें प्रशासनिक एवं प्रबंधीय स्तर सम्मिलित हैं, में स्त्री सशक्तिकरण पर जोर देती है। यह नीति निर्णय लेने वाले पदों, स्त्री भागीदारी बढ़ाने वाले क्षमता विकास कार्यक्रमों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने के लिए स्त्रियॉ नियुक्तियों को प्रोत्साहित करती है।

जेंडर अंतरों को पाटने के लिएः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानती है कि शिक्षा प्राप्ति में जेंडर अंतर उपस्थित है और इस जेंडर अंतर को पाटना चाहती है। यह नीति स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थाओं में लड़कियों के नामांकन एवं प्रतिधारण को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सहायक व्यवस्था, छात्रवृति और सदस्यता कार्यक्रमों के प्रावधान करने पर जोर देती है।

कौशल विकास एवं उधमशीलताः राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 जेंडर समानता एवं सशक्तिकरण के प्रोत्साहन में कौशल विकास और उधमशीलता के महत्व को स्वीकार करती है। यह नीति व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और उधमशीलता कार्यक्रमों को एकीकृत कर के आर्थिक गतिविधियों में बालिकाओं एवं स्त्रियों के लिए समान पहुँच और अवसरों को सुनिश्चित करने को प्रोत्साहन देती है।

जेंडर समावेश कोषः राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 में मुख्य रुप से लड़कियों एवं ट्रांसजेंडर को ध्यान में रखकर जेंडर समावेश कोष स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इस नीति का उद्देश्य देश में ऐसी क्षमताओं का विकास करना है जिसे की ऐसे विद्यार्थियों को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जा सके।

उचित शौचालय सुविधा का प्रावधानः राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 में विशेष रूप से इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक शैक्षिक संस्थान में विशेष रूप से स्त्रियों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध कारवाई जाए। विभिन्न सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों में यह देखने में पाया गया है कि शिक्षण संस्थाओं में उचित शौचालय व्यवस्था के अभाव में नकारात्मक प्रभाव लड़कियों के नामांकन एवं शिक्षा जारी रखने पर पड़ता है। लड़कियों के नामांकन बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के शिक्षण संस्थाओं में उचित शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध कारवाई जाए।

छात्रावास सुविधाओं के लिए प्रावधानः राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक और महत्वपूर्ण निर्णय सामाजिक, आर्थिक एवं वंचित वर्गों की लड़कियों को मुफ्त छात्रावास की सुविधाएँ उपलब्ध करवाने प्रावधान है। यह निर्णय निश्चित रूप से उन छात्राओं को सहूलियत प्रदान करेगा जो बहुत दूर से स्कूलों एवं संस्थाओं में पढ़ने आती हैं।

लड़कियों के विद्यालयी शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात सुनिश्चित करनाः राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य 2030 तक देश भर में स्कूली शिक्षा में लड़कियों के 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात को हासिल करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विशेष पहल की जा रही है जिसे लड़कियों के नामांकन का अनुपात में सुधार लाया जा सके और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम किया जा सके। इस तरह से यह नीति लड़की विद्यार्थियों के सार्वभौमिक सुविधाओं के उपयोग, नामांकन एवं पढ़ाई जारी रखने की दर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी और उनके लिए अधिगम की किफायती अवसरों को सुनिश्चित किया जा सके।

विशिष्ट शिक्षा क्षेत्रः शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र की अनुशंसा की गई है। इस नीति का उद्देश्य मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में शुरुआती शिक्षा से उच्च शिक्षा तक दिव्यांग बच्चों

की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह देश भर के सभी क्षेत्रों में सभी सुविधाओं के साथ स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तुत की गई है। ये क्षेत्र विशिष्ट प्रावधानों के तहत अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से समतामूलक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त प्रयासों के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। यह संसाधनों एवं वित्तीय का आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप अधिक बेहतर तरीके से उपयोग सुनिश्चित करेगा। इस तरह के विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र सभी के लिए सम्पूर्ण शैक्षिक विकास लाने में मददगार साबित होगा।

आर्थिक विकासः राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 में देश के आर्थिक विकास को गति को गति देने के लिए सभी विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। यह लड़की विद्यार्थियों को आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से सम्पन्न करेगा जिसे की वे किसी भी पेशेवर वातावरण में आगे बढ़ सकेंगी। राष्ट्रिय शिक्षा नीति आवश्यक कौसलों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगी जिसे समाज की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा।

उपरोक्त वर्णित सभी प्रावधानों में सामान्य स्त्रियों के समान ही दिव्यांग दृष्टीबाधित एवं अन्य दिव्यांग वर्गों में आने वाली सभी स्त्रियों को सम्मिलित किया गया है। ये सभी प्रावधान व्यापक रूप से शैक्षिक समावेश की दिशा में आगे बढ़ाने की भावी योजना का इशारा करता है।

दिव्यांग (दृष्टीबाधित) स्त्रियों के शैक्षिक समावेश की चुनौतियाँ

राष्ट्रिय शिक्षा नीति में स्त्री सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से अनेक प्रावधान किए गए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का हमने अध्ययन किया और पाया की ये सभी प्रावधान स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में व्यापक बदलावों का सूत्रपात करेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू हुए पाँच वर्ष हो चुके हैं। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इन पाँच वर्षों में क्या बदलाव आए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दिव्यांग जनो की संख्या 21906769 है जो उस समय की कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत है। इसमें से दिव्यांग दृष्टीबाधित की संख्या 10634881 है। इस में से 4902543 दिव्यांग दृष्टीबाधित स्त्रियों की संख्या है। इस संख्या का 74.46 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है और 25.54 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है। 2021 में संभावित जनगणना नहीं हो पाई तो यह संभव की अभी इस संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। फिर भी हम स्थिति को समझने के लिए इन आकड़ों का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य मुद्दा शैक्षिक समावेश का है और उसके विषय में पड़ताल के लिए हमें शैक्षिक स्थिति को जानना होगा।

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार हर वर्ष शैक्षिक स्थिति के आंकलन एवं प्रबंधन के लिए यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई प्लस)के द्वारा एकत्रित करती है। सरकार यूडीआईएसई प्लस के तहत ही चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स यानि सीडबल्यूएसएन का एकीकृत आकड़े एकत्रित करती है। यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार सीडबल्यूएसएन के तहत प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8 तक) पर नामांकन 1682056 था इसमें 42.22 प्रतिशत लड़कियाँ है, वही माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 और 10) पर 149022 नामांकन में से 43. 13 प्रतिशत लड़कियों का था। इन आकड़ों से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है भारत की वर्तमान कुल जनसंख्या को छोडकर यदि 2011 की दिव्यांग जनसंख्या आकड़ों से भी तुलना की जाए तो विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या बहत ज्यादा कम है। अगर इस संख्या में हम दिव्यांग दृष्टीबाधित स्त्री विद्यार्थियों को चिन्हित को चिन्हित करें तो वह संख्या और भी कम मिलेगी। इन आकड़ों से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि दिव्यांग (दृस्टिबाधित) स्त्रियों के शैक्षिक समावेश की गति अभी बहुत धीमी है। सरकार एवं सामाजिक स्तर पर मिलकर और अधिक प्रयास करने की जरूरत है।

निष्कर्ष

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्त्री सशक्तिकरण के लिए व्यापक रूप से नीतिगत प्रावधान किए गई है और इन सभी प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक समावेश के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सीधे रूप से दिव्यांग दृष्टीबाधित स्त्रियों की चर्चा नहीं करती है बल्कि चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड़ के तहत दिव्यांग दृष्टीबाधित स्त्रियों का ध्यान रखा गया है। जब बात शैक्षिक समावेश की होती है तो फिर शैक्षिक समावेश को व्यापक स्तर पर देखा जाता है। नीतिगत रूप से व्यापक स्तर बदलाओं की रूप रेखा तैयार की गई है लेकिन जब हम वर्तमान आकड़ों पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि दिव्यांग दृष्टीबाधित स्त्रियों के लिए अभी शैक्षिक समावेश की राह चुनौतीपूर्ण हैं। अभी उनके समावेश की गति बहुत धीमी है।

संदर्भ सूची

Admin. (2025, October 8). CWSN Enrolment Trends Across School Stages in India from UDISE+ 2024-25 Data | Education for All in India. Education for All in India. https://educationforallinindia.com/cwsn-enrolment-trends-across-school-stages-in-india-from-udise-2024-25-data/#:~:text=The%20UDISE+%202024%2D25%20dataset,transitional%20challenges%20despite%20retention%20efforts

UNESCO. (1994). INCLUSIVE EDUCATION. In INCLUSIVE EDUCATION. https://ncte.gov.in/oer/Forms/OERDocs/OERDoc/OERDoc_768_32904_11_08_2021.pdf

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय & भारत सरकार (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.